

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
॥ अधिसूचना ॥

सं०सं०-16/आरोप-05-55/2025

3847

न०वि०एवं आ०वि०, दिनांक-05/10/26

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-93 दिनांक-10.01.2022 द्वारा श्री सुनील कुमार, बि०न०से०, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, ढाका सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जयनगर के विरुद्ध उप मुख्य पार्षद, नगर परिषद, ढाका के विरुद्ध लाये गये प्रस्ताव पर चर्चा हेतु माननीय वार्ड पार्षदों द्वारा दिनांक-23.06.2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आहूत विशेष बैठक के आयोजन के संबंध में निर्गत नोटिस को हस्तगत कराने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को दी गयी गलत सूचना को सुधार के बदले अपने प्रतिवेदन को भेजकर आयोग को गुमराह करने के आलोक में विहित प्रपत्र में आरोप पत्र विभाग को प्रेषित किया गया।

2. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत श्री सुनील कुमार, बि०न०से०, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, ढाका सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जयनगर के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित किया गया, जिसका मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

नगर परिषद, ढाका के माननीय उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिनांक-23.06.2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आहूत विशेष बैठक संबंधी तत्समय नगर परिषद, ढाका में पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी, श्री संतोष कुमार रजक द्वारा पत्र निर्गत कर राज्य निर्वाचन आयोग को दी गयी गलत सूचना, जो नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-49 एवं 377 (1) (घ) (i) (ii) व (iii) के प्रावधानों का उल्लंघन है, को सुधार के बदले श्री सुनील कुमार द्वारा पुनः प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को भेजकर आयोग को गुमराह किया गया।

3. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा श्री सुनील कुमार के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र के आलोक में सम्यक् समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 में विहित रीति से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3498 दिनांक-02.12.2022 एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक-3029 दिनांक-14.08.2025 द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सुनील कुमार के विरुद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाया गया।

4. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री सुनील कुमार को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

5. अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में श्री सुनील कुमार, बि०न०से०, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, ढाका सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जयनगर को आरोप मुक्त किया जाता है। श्री सुनील कुमार के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

(परमानन्द पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक—16/आरोप—05—55/2025 3847 न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक 05/10/26

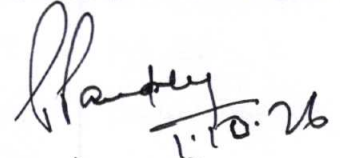
प्रतिलिपि:—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, पटना / (वै०दा०नि०को०), विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—संबंधित जिला पदाधिकारी/श्री सुनील कुमार, बि०न०से०, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, ढाका सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (स्थापना), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।